

13/2/17

पत्रांक-

प्रेषक :- अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,  
मधेपुरा।

सेवा में,  
जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,  
एन.आई.सी. मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक-

विषय :- कोटेशन के आधार पर जिले के सभी शीत-शृंखला कक्ष में अग्निशमक यंत्र अधिष्ठापित करने हेतु सूचना वेबसाईट पर प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि जिला प्रतिरक्षण कार्यालय मधेपुरा में वित्तिय वर्ष 2016-17 अंतर्गत जिला वैक्सिन भंडार एवं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के शीत-शृंखला कक्ष पर अग्निशमक यंत्र क्रय कर अधिष्ठापित की जानी है। जिस हेतु जिला प्रतिरक्षण कार्यालय मधेपुरा के द्वारा कोटेशन आमंत्रित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि कोटेशन के आमंत्रण हेतु सूचना वेबसाईट पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : सूचना की प्रति।

विश्वासभाजन

हो -

अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,  
मधेपुरा

ज्ञापांक- 49 मधेपुरा, दिनांक- 11-02-17

प्रतिलिपि :- जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वा. समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

11.02.17  
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,  
मधेपुरा

# कार्यालय अपर मुख्य चि.पदा. पदाधिकारी, मधेपुरा

E-mail- rimadhepura@gmail.com


—: सूचना :-

मधेपुरा जिला में नियमित प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2016-17 के लिए जिला वैक्सिन भंडार एवं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के शीत-श्रृंखला कक्ष (14) पर अग्निशमक यंत्र क्रय कर अधिष्ठापित किये जाने हेतु जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, जिला प्रतिरक्षण कार्यालय, मधेपुरा के पदनाम से कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

1. कोटेशनदाता के पास वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रदत्त वैट नं. अवश्य होना चाहिए।
2. कोटेशन जमा करने की अंतिम तारीख- 16.02.17 के अपराह्न 02:30 बजे तक जिला प्रतिरक्षण कार्यालय, सदर अस्पताल कैम्पस, मधेपुरा है।
3. कोटेशन दिनांक 16.02.17 के अपराह्न 03:00 बजे सिविल सर्जन कार्यालय वेश्म में सिविल सर्जन महोदय की अध्यक्षता में गठित विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी।
4. तुलनात्मक विवरणी के आधार पर न्यूनतम दर वाले फर्म/संस्थान को अग्निशमक यंत्र आपूर्ति करने का आदेश निर्गत किया जायगा।
5. कोटेशन खुलने के समय कोटेशनदाता अथवा उसके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। समय सीमा समाप्ति पश्चात् कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जायगा।
6. अधोहस्ताक्षरी को कोटेशन रद्द करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
7. आपूर्तिकर्ता को अग्निशमक यंत्र क्रय किये जाने के पश्चात् जिला वैक्सिन भंडार/प्रा.स्वा.केन्द्रों में अधिष्ठापित करना है। इस हेतु कोई भी राशि देय नहीं होगा।
8. अनुमोदित फर्म/संस्थान को कार्योपरांत भुगतान के समय वैट की रशि काटकर उनके वैट लेखा में चलान के माध्यम से जमा कर दिया जायगा, जिसके एक प्रति फर्म/संस्थान को उपलब्ध करा दी जाएगी।
9. प्रति शीत-श्रृंखला कक्ष हेतु अग्निशमक यंत्र अधिकतम (वैट सहित) @Rs.=10000 (दस हजार) रुपये, तक मान्य होगा।

  
जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी,  
मधेपुरा  
11.02.17

Pankaj Kr Prakash, DA, RCH Madhepura  
File- 2016-17/ RI/ Letters/ DIO\_Off\_letter

  
अपर मुख्य चिकित्सा पदा.  
मधेपुरा  
11.02.17